कार्यालयः महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,

क्रमांक 5912-35 /टी0आई0-4 दिनांक 17-2-14

विषय– निर्धारित बस अड्डों पर बसों का ठहराव के सम्बन्ध में।

मुख्यालय में बार–2 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि चालक/परिचालक अपनी बस सेवाओं को निर्धारित बस अड्डों पर न रोककर आगे पीछे रोकते हैं, जिससे वहा खडे यात्रियों को बस सेवा पकडने में काफी मुश्किल का सामना करना पडता है। इसके अतिरिक्त चालक/परिचालक fly over के साथ बनी सडक पर बने बस ठहराव का प्रयोग करने की बजाए fly over से अपनी बस को ले जाते हैं, जिससे fly over के नीचे बने बस ठहराव पर खडे यात्री बस सेवाओं से [illegible] जाते हैं। उक्त दोनों कारणों से उन्हें काफी समय तक बस सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण उनका काफी बहुमुल्य समय बर्बाद हो जाता है, जिससे वे समय पर अपने गन्तव्य स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं और समय पर बस सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण उनके बहुत से सामाजिक कार्य देरी से होने के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पडता है। इसके विपरीत चालकों/परिचालकों द्वारा अपनी बस सेवाओं को मार्ग के निर्धारित बस अड्डों पर अपनी बसे न रोकने के कारण बस सेवाओं में पर्याप्त मात्रा में यात्री उपलब्ध/सवार न होने पर विभाग को वित्तिय हानि भी वहन करनी पडती है जोकि एक गम्भीर मामला है।

इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित महाप्रबन्धकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने आगार के अन्तर्गत पडने वाले मुख्य–2 बस ठहरावों जैसे कि डेराबस्सी, बलदेव नगर, शाहबाद, पिपली, निलोखेडी, तरावडी, घरोंडा, समालखां, गन्नौर, मूरथल, बहालगढ, बार्डर तथा दिल्ली–सिरसा मार्ग पर बहादुरगढ, सांपला, महम, मुढांल आदि पर कर्मचारी नियुक्त करके बस सेवाओं को निर्धारित बस अड्डों पर रूकवाने के लिए सम्बन्धित बस ठहराव पर कर्मचारी नियुक्त करके सम्बन्धित बस सेवा के परिचालक के हस्ताक्षर रजिस्टर में अंकित करके बस सेवाओं का ईन्द्राज करना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले चालक/परिचालक की रिपोर्ट सम्बन्धित महाप्रबन्धक व उसकी एक प्रति मुख्यालय में प्रेषित करना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित महाप्रबन्धक यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनके आगार के अन्तर्गत यदि कोई passenger potential points है तो वहां अपने [illegible]र पर भी कर्मचारी नियुक्त करें। यह व्यवस्था तुरन्त लागू करके 30.04.2014 तक जारी रहेगी।

Sd/- 17/2/14

D/c

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा, चण्डीगढ 21/2